7

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ककराली बनाम धानी राजेन्द्र पि० चन्दीलाल जाट

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

निर्णय दिनाँक :- 26/3/19

प्रकरण संख्या :- 73/RA/2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीतर्फरेला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-19 किरम जमीन गैरमु० श्मशान में से 0.01 रकबे पर श्री धानी राजेन्द्र पि० चन्दीलाल जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर झुग्गी/लकडी कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ककराली द्वारा दिनाँक 27-8-18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. पारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी धानी राजेन्द्र पि० चन्दीलाल जाति जाट निवासी खेड़लीरेला को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमु० श्मशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 paise का 50 गुणा 3/- Three Rs. रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ककराली भू.अ.निरी. पारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प॰ E को पालनार्थ
पत्रावली जमल पेश हो।